//श्री//

C.F. 29.11.12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प उज्जैन, मध्यप्रदेश
प्रकरण कमांक :– /12–13 निगरानी, R 3760-PBR/12

29/11/12

श्री चन्द्रभानसिंह पिता श्री शम्भुसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी :– ग्राम लौहाना !कुटी!, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश ———निगरानीकर्ता

विरुद्ध

01:–श्री चन्दपाल पिता श्री भगवानजी, जाति अहीर,

02:–श्री उमेश पिता श्री भगवानजी, जाति अहीर,

03:–श्रीमति लक्ष्मी पिता श्री रामेश्वरजी, जाति अहीर, निवासीगण ग्राम दूसरी–पलटन, तहसील व जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश ————विपक्षीगण

श्री विजय बहादुर सिंह राठौर अभिभावक द्वारा आज दिनांक 19-10-12 को उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। 19-10-12

25-10-12

निगरानी–आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू0 राजस्व संहिता माननीय न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक :– 10अ13/2011–12 में पारित आदेश दिनांक :– 15/10/2012 से असंतुष्ट होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता/अनावेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी–आवेदन–पत्र प्रस्तुत हैं:–

सारांश

यह कि विपक्षीगण/आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बडनगर की न्यायालय में एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू0 रा0 स0 का प्रस्तुत करके इसके साथ ही एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 32 भू0 रा0 स0 का प्रस्तुत किया गया। जिसमें निगरानीकर्ता/अनावेदक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक :– 25/07/2012 को स्थल निरिक्षण किया गया, स्थल निरिक्षण के पश्चात् मौके पर स्थल निरिक्षण टीप तैयार की गई। स्थल निरिक्षण के समय कोई भी पक्ष मौके पर उपस्थित नहीं रहा हैं। अनुपस्थिति की दशा में स्थल निरिक्षण किया गया। विधि का प्रावधान यह हैं कि स्थल निरिक्षण उभय–पक्षों की मौजुदगी में किया जाता हैं, ताकि स्थल निरिक्षण के समय रास्ते की सही जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। मौके पर स्थल निरिक्षण की कोई भी सूचना निगरानीकर्ता/अनावेदक को जारी नहीं की गई और उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक :– 15/10/2012 को विपक्षीगण/आवेदकगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता चालू करवाये जाने बाबत् अदेश पारित किया गया और प्रकरण दायरे से कम किया जाकर प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3760-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	